फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर।

केस संख्या :- 34 /2023

रफीक खाँ बनाम आमीर खान

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26.12.2023	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामरतन मीना ने वाद अंतर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय ताजा हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 18.01.2024 को पेश हो। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित करने व नवनिर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रूप से इस आशय की जारी की जाती है। कि अप्रार्थीगण ग्राम फिरोजपुरा उर्फ बीबी का बाढ के नया खाता संख्या 100 पुराना खाता संख्या 69 के खसरा नंबर 108 कुल किता 1 कुल रकबा 0.69 हे0 व नया खाता संख्या 102 पुराना खाता संख्या 74 के खसरा नंबर 107 कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हे0 एवं नया खाता संख्या 98 पुराना खाता संख्या 70 के खसरा नंबर 106 कुल किता 01 कुल रकबा 0.45 हे0 वाके ग्राम फिरोजपुरा उर्फ बीबी का बाढ पटवार हल्का बडोदिया तहसील कोटखावदा का **मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** स्थगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अगल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीयों की नोटिस की तामील की सामान्य एवं साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 18.01.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
	18/1/24	पत्रावली पेश हुयी/R.R. [illegible]/कार्य ... अप्राप्त/विपक्ष [illegible] ... की गई। पूर्वानुसार [illegible] दिनांक 15/2/24 को पेश हो।	
	15/2/24	पत्रावली पेश हुयी/R.O. [illegible] ... R.O. [illegible] ... की गई। पूर्वानुसार [illegible] दिनांक 9/4/24 को पेश हो।	

3/4/25	[illegible] पेश हुयी/R.O. साहब/ [illegible] [illegible] पुनःप्राप्त ... [illegible] दिनांक [illegible] पूर्वानुसार [illegible] दिनांक 2/5/25 ... को [illegible] (हस्ताक्षर)
2/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को सायंकाल 6pm तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आए। न ही प्रार्थी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजिर अदालत आए। अतः प्रा. पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड [illegible] [illegible]